हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के विद्युत मण्डल "धर्मशाला" के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2013

भाग–एक

1 (क) प्रस्तावना :–

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0–4(डी)1–1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के विद्युत मण्डल धर्मशाला के लेखाओं अवधि 4/2012 से 3/2013 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री वी0के0 त्रिवेदी, अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मशाला, के लेखाओं अवधि 4/2012 से 3/2013 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरणः–

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	4	527.08
2	बिजली बोर्ड से डिपोजिट राशि से कम कार्य निष्पादित करने के परिणामस्वरूप वसूली न करना	5	14.51
3	संविदाकारों से सुरक्षित अग्रिम राशि की वसूली न करना	6	34.54

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट ''4'' में दर्शाई गई है। वर्ष 2004–05 से 2011–12 तक मण्डल से सम्बन्धित अनिर्णीत शेष पैरों का वर्षानुसार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	वर्ष	शेष पैरों की संख्या	टिप्पणी
1	2004–05	1	
2	2005–06	2	
3	2006–07	1	
4	2007–08	3	
5	2008–09	1	
6	2009–10	2	
7	2011–12	3	
	कुल	**13**	

अतः अधिशासी अभियन्ता, आवास एवम शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल "धर्मशाला" के उपरोक्त अनिर्णीत आडिट पैरों पर अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल धर्मशाला के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री मुकेश कुमार, स्नेही अनुभाग अधिकारी व श्री भवनीश पुरी, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 20.11.13 से 30.11.13 तक के दौरान "धर्मशाला" में किया गया। माह 06/12 के लेखाओं का चयन विस्तृत जांच हेतु किया गया जिसके परिणामों को आगामी अनुच्छेदों में समाविष्ट किया गया है।

"This audit Report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the controlling officer of the Division Local Audit Department disclaims any responsibility for mis-information on the part of auditee. Responsibility of audit is only confined to the months selected for test/detail check"

3 अंकेक्षण शुल्क :–

अंकेक्षण शुल्क हेतु अधियाचना अलग से जारी की जाएगी।

4 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को विभिन्न कार्यों के लिए भुगतान की गई राशियां ₹52708123/– के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल धर्मशाला द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 31.3.13 तक परिशिष्ट "i" में दिए गए विवरणानुसार ₹52708123/– का भुगतान विभिन्न कार्यों के (बाहरी विद्युतीकरण हेतु) किया गया था लेकिन न तो इन राशियों के विरूद्ध निष्पादित कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र बिजली बोर्ड से प्राप्त किए गए और न ही बिजली बोर्ड को दी गई राशियों व उनके पास बची अनुपयोगी राशियों का समायोजन करवाया गया है। अतः आवश्यक कार्यवाही करते हुए बिजली बोर्ड द्वारा निष्पादित कार्यों की वस्तुस्थिति सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाएं। वास्तविक स्थिति के अनुसार यदि कार्य निर्धारित प्राकलन प्रमात्रा से कम निष्पादित किया गया हो तो निष्पादित कार्यों के दृष्टिगत उपयोग में न लाई गई राशियों को बिजली बोर्ड से शीध्र प्राप्त करने अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके अन्य कार्यों में समायोजित करने हेतु पग उठाये जाने सुनिश्चित करें।

5 बिजली बोर्ड से डिपाजिट राशि से कम कार्य निष्पादन के परिणामस्वरूप ₹1451495/– की वसूली न करना:–

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल धर्मशाला द्वारा बिजली बोर्ड के पास डिपाजिट कार्य के रूप में जमा राशियों के विरूद्ध निष्पादित कार्यों का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिशिष्ट "2" में दिए गए विवरणानुसार बिजली बोर्ड के पास जमा राशियों के विरूद्ध विद्युत मण्डल "धर्मशाला" के निर्धारित प्राकलन से कम कार्य के

निष्पादन के फलस्वरूप ₹1451495/– की राशि वर्तमान अंकेक्षण की समाप्ति तक अनुपयोगी पड़ी थी जिसे न तो हिमुडा विद्युत मण्डल धर्मशाला द्वारा न तो वापिस लिया है और न ही बिजली बोर्ड से निर्धारित प्राकलन से कम निष्पादित कार्य बारे स्पष्टीकरण प्राप्त किए है इतनी लम्बी अवधि तक अनुपयोगी राशियों को बिजली बोर्ड द्वारा बिना स्पष्टीकरण दिए अपने पास रखने बारे मामला बिजली बोर्ड के उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाकर उक्त राश को शीध्र प्राप्त किया जाए तथा की गई कार्यवाही से यथाशीध्र इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 **संविदाकारों को दिए गए सुरक्षित अग्रिमों ₹3453818.00 की वसूली शेषः–**

हिमुडा द्वारा संविदाकारों को विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु परिशिष्ट "3" में दिए गए विवरणानुसार दिनांक 31.3.13 तक सुरक्षित अग्रिमों के रूप में किए गए ₹345818.00 के भुगतान की वसूली शेष थी जिनमें से कुछ राशियों को लम्बी अवधि से समायोजित नहीं किया गया है। अतः इन राशियों की वूसली शीध्र संविदाकारों के बिलों से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएं।

7 वाऊचर संख्याः–31 व 32

मास	6/12
अनुबन्ध संख्याः–	16 वर्ष 2010–11
कार्य का नामः–	C/O Bus stand Dharmpur Distt Mandi Sh. Providing internal E.I. work there in

संविदाकार का नामः– श्री महेश चन्द

चलित बिल संख्याः– पचंम

कार्य हेतु आंबटित राशिः– 1135443.20

माप पुस्तिकाः– 91/11 पृष्ठ 48 से 59

हिमुडा मण्डल द्वारा निम्नलिखित मदों में विभागीय "Justification or rate" की दरों पर भुगतान न करके संविदाकार को उनके द्वारा भरी दरों के आधार पर भुगतान किए गए जबकि इन मदों की दर की Negotation की जानी अपेक्षित थी ऐसा प्रतीत होता है कि ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था परिणामस्वरूप संविदाकार को निम्न विवरणानुसार सम्भावित ₹4061/– का अधिक भुगतान किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके मण्डल खाते में जमा करवाई जाएं

मद सं0	मद	मात्रा	Anylsis Rate	ठेकेदार द्वारा दर	अन्तर	अधिक भुगतान
13	Supplies of erection of following depth sheet metal	7.08 Sqmeter	6680 per sqmeter	7000 per sqmeter	320 per meter	2266
15	Providing and fixing following raiting and breaking capecity MCCB	6 No.	3730 per	4000 per	270 per	1620
17	Supplying and fixing copper strip Bus bar	1 mtr	3825 per meter	4000 per meter	175 per meter	175
					कुल जोड़	**4061**

8 कार्य का नामः— C/O bus stand at Mandi (Sh. Providing int E.I. there in)

संविदाकार का नामः— श्री के0आर0 वर्मा

अवार्ड पत्र संख्याः— 91/97 दिनांक 28.4.11

अवार्ड मूल्यः— ₹2101819 (25.79% below 2009)

माप पुस्तिकाः—88 पृष्ठ 56

चलित बिलः— छठा

अनुबन्ध संख्याः— 4 वर्ष 2011—12

उपरोक्त कार्य के अवार्ड पत्र की शर्त "8" के अनुसार स्पष्ट किया गया था कि कार्य की प्रमात्रा के विचलन को मुख्या कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव हिमुडा शिमला की पूर्व स्वीकृति के बिना निष्पादित नहीं किया जाएगा परन्तु अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि उक्त अवार्ड मूल्य ₹2101819/— के स्थान पर उक्त कार्य पर कुल ₹2338116/— की राशि खर्च की जा चुकी है उक्त कार्य HPSR 2009 के आधार पर 25.79% below पर आंबटित था जोकि अब 11.24% above हो चुका है जिसके लिए नियमानुसार सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। अतः जिसका औचित्य उपरोक्त आंबटन पत्र की शर्तों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए। अनाधिकृत तरीके से अधिक किए गए भुगतान को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से प्राप्त कर नियमित करवाया जाए। अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

9 ₹4044.00 चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा का अनुचित भुगतानः–

वाऊचर संख्या 8 माह 6/12 द्वारा ₹4044/– चिकित्सा प्रतिपूर्ति श्री के0एन0 भल्ला (सहायक अभियन्ता) को भुगतान किया गया। अभिलेख की जांच में पाया गया कि उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल HPTR –6 के साथ जो cash memo संलग्न किए गए है उनमें से एक भी cash memo उक्त बिल/वाउचर से सम्बन्धित नहीं है। अतः ₹4044/– का अनियमित रूप से भुगतान किया गया इस बारे पुनः जॉच कर स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके मण्डल खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

10 निष्कर्ष :– लेखों में उचित अनुरक्षण मे और सुधार की आवश्यकता है। वर्षों से लम्बित पड़े अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष ध्यान देने की अवश्यकता है।

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः –फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)228/03–खण्ड–3–1356–1358, दिनांक 25.02.2014, शिमला–171009.

प्रतिलिपि :–

पंजीकृत :– (1) प्रधान सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002.

(2) सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, निगम विहार, शिमला–171002

(3) अधिशाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मशाला को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट ''4''   अंकेक्षण प्रतिवेदन भाग(1) पैरा संख्या 1 (ग) में सन्दर्भित

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के विद्युत मण्डल धर्मशाला के अवधि 4/2004 से 3/12 तक के पैरों की वस्तुस्थितिः–

(क) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005</u>

1	पैरा 10	अनिर्णीत

(ख) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006</u>

1	पैरा 7 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 7 (बी)	अनिर्णीत

(ग) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007</u>

1	पैरा 10 (बी)	अनिर्णीत

(घ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008</u>

1	पैरा 8 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा 8 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 8 (ग)	अनिर्णीत

(ङ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009</u>

1	पैरा 8	अनिर्णीत

(च) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010</u>

1	पैरा–8	अनिर्णीत
2	पैरा–10	अनिर्णीत

(छ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012</u>

1	पैरा–4	निर्णीत (पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया)
2	पैरा–5	निर्णीत (पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया)
3	पैरा–6	निर्णीत (पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया)
4	पैरा–7	अनिर्णीत
5	पैरा–8	अनिर्णीत
6	पैरा–9	निर्णीत (कार्यवाही देख ली गई है)
7	पैरा–10	निर्णीत (कार्यवाही देख ली गई है)
8	पैरा–11	अनिर्णीत